**प्रेषक,**

**मनोज कुमार सिंह,**

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**निदेशक,**

पंचायतीराज,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**पंचायती राज अनुभाग-1** **लखनऊः दिनाँकः 02 अगस्त, 2022**

**विषयः- मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के आलोक में अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के पद का सृजन।**

महोदय,

पंचायती राज विभाग में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों की वेतन विसंगति तथा अपर जिला पंचायत राज अधिकारी एवं सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पदों के सृजन से सम्बन्धित प्रकरणों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन विषयक वित्त (वेतन-आयोग) के शासनादेश संख्या-32/2016/वे0आ0-2- 460/दस-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0, दिनांक 07 जून, 2016 के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर जिला पंचायत राज अधिकारी पद नाम से वेतन बैण्ड-2 रूपया-9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रूपया-4600/- में उ0प्र0 के प्रत्येक जनपद हेतु एक-एक नये पद कुल 75 पद सृजित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-04/2017/1357/33-1-2017-2619/13 दिनांक 02 अगस्त, 2017 में अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के सृजित 75 पदों को वर्गीकृत करने एवं नए पदनाम से सृजित करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल उक्त शासनादेश दिनांक 02 अगस्त, 2017 में संशोधन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(क) अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के 63 पदों को 12 वर्ष की सेवा वाले सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(ख) नव सृजित अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के 08 पदों को 07 वर्ष की सेवा वाले सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के पदों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(ग) नव सृजित अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायत उद्योग) के 04 पदों को 12 वर्ष की सेवा वाले पंचायत निरीक्षक (उद्योग) के पदों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(घ) अपर जिला पंचायत राज अधिकारी/अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) तथा अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायत उद्योग) के पद के कार्य एवं दायित्वों के निर्धारण के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

/2..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**2-** उक्तानुसार सम्बन्धित सेवानियमावली में यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

3- शासनादेश दिनांक 02 अगस्त, 2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए ।

4- यह आदेश वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-वे0आ0-2-13/दस-2022 दिनांक- 28.07.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

**( मनोज कुमार सिंह )**
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः- 1/2022/1358(1)/33-1-2022-तद्दिनाँक।

प्रतिलिपिः- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

**( अशोक कुमार राम )**
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।